इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189] भोपाल, गुरूवार, दिनांक 31 मार्च 2011— चैत्र 10, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. एफ-ए 3-11-2011-1-पांच (16).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक की कालावधि के लिए उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:—

सारणी

माल का वर्ग (1)	छूट की सीमा (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गयी है (3)
1. चाय	सम्पूर्ण प्रवेश कर	जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल का किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में मिश्रण (ब्लेंडिंग) के लिये प्रवेश कराया जाए और मिश्रित (ब्लेंडेड) चाय का मध्यप्रदेश राज्य के बाहर अंतरण या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय किया जाए.
2. कच्चा (क्रूड) खाद्य तेल.	सम्पूर्ण प्रवेश कर	जबकि कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल का परिष्करण में उपयोग हेतु किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. एफ-ए 3-11-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-11-2011-1-पांच (16), दिनांक 31 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st March 2011

F. No. A 3-11-2011-1-V(16).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby exempts the class of goods specified in column (1) of the Table below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (2), for the period from 1st April 2011 to 31st March 2012 subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said table:—

TABLE

Class of Goods (1)	Extent of exemption (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
1. Tea	Whole of Entry Tax	When the goods specified in column (1) are entered into a local area by a registered dealer for blending and the blended tea is transferred outside the State of Madhya Pradesh or sold in the course of inter-State trade or commerce.
2. Crude edible oil	Whole of Entry Tax	When the goods specified in column (1) are entered into a local area by a registered dealer for use in refining.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.